[12/7/2023]
परिशिष्ट "अ"

प्रश्न सं. [क्र. 773]

623

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सा. दमोह (म.प्र.)

पता–कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज के पास, सिविल वार्ड नं–4, जिला दमोह, (म.प्र.) पिन–470661
ई–मेल–dfotdmoh@mp.gov.in फोन नं. 07812.222541 फैक्स –227205

क्रमांक/मा.चि./ 3526 दमोह, दिनांक 15/6/23

प्रति,

कार्य पालन यंत्री
जल संसाधन संभाग दमोह

विषय :– देवरी जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करने हेतु वनक्षेत्र में सर्वेक्षण की अनुमति बावत।

संदर्भ :–
1. मुख्य वन संरक्षक, वृत्त सागर का पत्र कमांक/मा.चि./2685 दिनांक 29.05.2023
2. कार्यालयीन पत्र कमांक/मा.चि./3439 दिनांक 07.06.2023
3. आपका पत्र कमांक/944 दिनांक 13.06.2023।

------------000------------

विषयांतर्गत लेख है कि मुख्य वन संरक्षक, वृत्त सागर द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 29.05.2023. के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के आदेश कमांक/एफ–5–14/2005/10–3 दिनांक 30 जुलाई 2012 के निर्देशानुसार निर्धारित पंजीयन/प्रोसेसगि एवं पूर्वेक्षण/सर्वेक्षण शुल्क जमा करने के उपरांत सर्वेक्षण की अनुमति दिये जाने हेतु लेख किया गया।

तत्संबंध में कार्यालयीन पत्र दिनांक 07.06.2023 द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क रू. 5000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 25000/– कुल रू. 30000/– राजस्व मद (0406) वानिकी एवं अन्य वन्य जीव 01 वानिकी 800 अन्य प्राप्तियां में जमा करने हेतु लेख किया गया। आपके संदर्भित पत्र दिनांक 13.06.2023 द्वारा उक्त निर्धारित शुल्क वाउचर नं. 080/4700/062023–24/0001 दिनांक 12.06.2023 द्वारा भुगतान कर पावती संलग्न कर अनुमति बावत् लेख किया गया है।

अतएव मुख्य वन संरक्षक, वृत्त सागर द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 29.05.2023 अनुसार निम्नानुसार अधिरोपित शर्तों के अधीन सर्वेक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है–

1. प्रस्तावित वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	वनक्षेत्र का विवरण	सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित रकवा हे. में
1	दमोह	तेन्दूखेडा/तेजगढ़	आर.एफ. 196, पी.एफ. 55	5.62 हे0

2. सर्वेक्षण के समय वनमण्डल से संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को साथ रखा जावेगा।
3. सर्वेक्षण के तहत किसी भी वृक्षों को न ही काटा जावेगा न ही वनभूमि को तोडा जावेगा।
4. सर्वेक्षण के समय पूरा प्रयास किया जावेगा कि योजना का मार्ग वनक्षेत्र के बाहर हो, यदि वनक्षेत्र के बाहर संभव न हो, तो कम वनक्षेत्र प्रभावित हो, यथा संभव योजना की सीमा वनक्षेत्र के बाहर के तरफ रहे।
5. प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र में योजना के प्रस्ताव भेजते समय सर्वे पर संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रतिवेदन (मौका पंचनामा) साथ लगाये तथा उन समस्त विकल्पों का उल्लेख करें, जिसमें कियान्वित की जाने वाली योजना वनक्षेत्र के बाहर अन्य स्थल पर कियान्वित नही की जा सकती।
6. सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त करने का तात्पर्य यह नही लगाया जावे, कि उक्त प्रकरण में वनभूमि प्राप्त हो जावेगी।
7. यदि सर्वेक्षण के दौरान वनभूमि को तोडा जाना, वृक्षों को काटा जाना शामिल हो तो केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना सर्वेक्षण नही किया जावेगा।
8. सर्वेक्षण के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रकाश में आने पर यह स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी।
9. यह अनुमति आदेश दिनांक से 15 दिवस के लिये प्रभावशील रहेगी।
10. उक्त सर्वेक्षण अभ्यारण्य क्षेत्र में नही किया जावेगा।

Executive Engineer
No. 863
Date 20/6/23

(एम.एस.उइके भा.व.से.)
वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल (सा.) दमोह (म.प्र.)

पृ0 कमांक/माचि./3527 दमोह, दिनांक 15/6/23

प्रतिलिपि :–
1. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. उपवनमण्डल अधिकारी तेन्दूखेडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. परिक्षेत्र अधिकारी तेन्दूखेडा/तेजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी